

ध्यान दें

1. अनुसूची 5 में :-

- (क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संतान की जानी है।
- (ख) यदि अप्रार्थी/उसके रिश्तेदार/रजिस्ट्रार का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराने पर लेने का काल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अप्रार्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का काल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।
2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/सर्वो/व्यक्ति/व्यक्ति द्वारा अप्रार्थी के पक्ष पर उल्लेख कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का काल्पित किराया ऊपर दिए सम्बन्धित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।
3. भाग-3 में राजनीतिक दल या अगुओं से प्राप्त निधि या अप्रार्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का लिखित-वार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अप्रार्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।
4. सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- (आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/वर्तुशल कैम्पेन/ईईपीएन/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के जरिए संशोधित, अनुबंध-व9 पर रखा हुआ है)

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-1: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-1: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण		
I	अप्रार्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	रमेश कुमार भंडारी श्री आल (193)
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राजस्थान
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप/निर्वाचन का उल्लेख करें)	राज्य विधानसभा
V	परिणाम घोषित करने की तारीख	03-12-2023
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	
VII	यदि अप्रार्थी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख करें	
VIII	क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हां/ नहीं

दिनांक : 02/01/24
स्थान : Jhna

अप्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम : रमेश कुमार भंडारी



भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उभारत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	राजनीतिक दल द्वारा उभारत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	अन्य द्वारा उभारत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (रुपये में) (3), (4) एवं (5) का जोड़
1	जन सम्मार्ग, रैली, जुरूस इत्यादि पर व्यय	3	4	5	6
I	जन सम्मार्ग, रैली, जुरूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात्: राजनीतिक दल के स्टाफ प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0
II	ख : स्टाफ प्रचारक (को) के साथ जन सम्मार्ग, रैली जुरूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात्: सामान्य पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-2 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0
II	कम संख्या-ख में उल्लिखित जन सम्मार्गों, रैलियों जुरूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-3 के अनुसार संतान करें)	298960	0	14400	249660
III	(क) केवल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो कैबल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0
(ख) केवल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो कैबल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0	0
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची-5 के अनुसार संतान करें)	24000	0	24000	108000
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची-6 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	48285	0	0	48285
VII	आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उभारत व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0
VIII	VIII वर्युअल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-11 के अनुसार संतान करें)	0	0	0	0
	कुल योग	300545	0	98400	398945

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के खाते का सार

क्र.सं.	विवरण	कुल योग
1	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संतान करें)	95100
II	पार्टी (पार्टियों) से नकदी या बैंक इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-8 के अनुसार संतान करें)	0
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/व्यक्तिक निकायों इत्यादि से भ्रम, उपहार या वंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संतान करें)	2,60,000
	कुल योग	3,55,100

2/29